

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलेक्टर एवं 5-10 मुकाम... हायत

दमीद्वी

बनाम... राकराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. भा. 111, 128 RLR नं. 176 सन् 2019  
ACT

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.6.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेताराम जाखड़</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26.6.19</u> को पेश हो।</p> <p>26/06/19</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिसे तामील पत्रावली विप्रार्थी गणों। विप्रार्थी/गणों का पत्रावली तामील हुआ। तामील में तमने बाए कावाज लगाई गई। तामील कावाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थी गणों स्वयं गण उन्हीं गणों के बोर्ड काश्तकारी उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट का पत्रावली तामील में लाई जाती है। तलब वास्ते बरस पत्रावली दिनांक 17/07/19 को पेश हो।</p> <p>17/07/19</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों गणों पत्रावली काश्तकारी डिग्नर कार्यों में तमने होने के तामील इतिहास टोडर कावाजी दिनांक 17/07/19 को पेश हो।</p>	

13/08/19

प्राची वकील उपस्थित / विप्राथीगण अनु-  
पस्थित / प्राची के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस  
सुनी गई प्राची के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया  
गया कि प्राची व विप्राथीगणों के खेत सेठा सेठ  
आये हुए हैं प्राची व विप्राथीगणों के सेठों पर  
जो पुरानी माठे व कण आस हुए थे जो वर्तमान  
में झांझियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे  
प्राची व विप्राथीगणों के सेठों का सही ज्ञान नहीं  
हो रहा है। वर्षात की आवक होने पर विप्राथीगण  
प्राची के सेठों को लोडकर प्राची के खातेदारी खेत में  
खेती कर लेते हैं। जिससे प्राची व विप्राथीगणों के  
बीच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्राची को  
अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना  
आवश्यक है। इसलिए प्राची द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी  
अवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश  
किया जावे।

6/11/19

प्राची वकील उपस्थित / विप्राथीगण अनु-  
पस्थित / प्राची के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस  
सुनी गई प्राची के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया  
गया कि प्राची व विप्राथीगणों के खेत सेठा सेठ  
आये हुए हैं प्राची व विप्राथीगणों के सेठों पर  
जो पुरानी माठे व कण आस हुए थे जो वर्तमान  
में झांझियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे  
प्राची व विप्राथीगणों के सेठों का सही ज्ञान नहीं  
हो रहा है। वर्षात की आवक होने पर विप्राथीगण  
प्राची के सेठों को लोडकर प्राची के खातेदारी खेत में  
खेती कर लेते हैं। जिससे प्राची व विप्राथीगणों के  
बीच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्राची को  
अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना  
आवश्यक है। इसलिए प्राची द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी  
अवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश  
किया जावे।

अतः प्राची का नेखमबन्दी  
अवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वायतु  
को कमिशनर व सम्बंधित भू. अभिलेख निरीक्षक  
को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाता है व  
आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक  
कमिशनर से प्राची के खातेदारी खेतों की पक्की  
नेखमबन्दी भौके पर कमिशनर शुल्क रुपये 500/-  
जमाकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर  
शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कुमर फंसल शुमार  
होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दायित्व फक्टर हो।

(Signature)  
सहायक कलक्टर (SPQ)  
वायतु  
2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 044

दिनांक:-

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दमी पत्नि भीयाराम वगैरा जाति जाट  
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. ठाकराराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट  
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा  
तहसील बायतु(बाड़मेर)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 176/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 153/93 रकबा 15.17 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधीकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।



क्रमांक/वाद/2019/ 045-49

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्रीमती दमी देवी वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री ठाकराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलेक्टर (SBO)  
बायतु  
दिनांक:- 6/11/19

सहायक कलेक्टर (SBO)  
बायतु

